राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर

क्रमांक / सामान्य / 2020 / 6553

दिनांकः 10.06.2020

विशिष्ट शासन सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांकःपप.33(2)गृह / ग्रुप–9 / 2019 दिनांक 10.06.2020 से व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. **सड़क मार्ग से (निजी बस / टैक्सी / निजी परिवहन) :**

   बॉर्डर पर चैकपोस्ट स्थापित कर इन समस्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाये एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चैक किये जाये।

2. **राज्य के बाहर व्यक्तियों का प्रस्थान :**

   I. राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों को पास की आवश्यकता रहेगी। यह पास संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालयों द्वारा जारी किये जा सकेंगें। उपखण्ड मजिस्ट्रेट के स्तर से जारी किये गये पासों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देंगे।

   II. उपरोक्त के अतिरिक्त, संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेण्ड पर एक काउन्टर भी स्थापित किया जायेगा, जहॉ से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात् यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किया जा सकेगा। परन्तु जो व्यक्ति वहां पर पास बनवाना चाहता है, उनको यात्रा के प्रस्थान से काफी समय पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। इन स्थानों पर यात्रा संबंधी स्क्रीनिंग की पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार की जायेगी।

   III. जो व्यक्ति राज्य के बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे है। उनकी स्क्रीनिंग एवं पास व पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चैकपोस्ट पर किया जायेगा।

   IV. निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए पास की व्यवस्था नहीं होगी, परन्तु उनकी यात्रा / अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा :

      a. जो व्यक्ति 10 जून, 2020 को निर्धारित उड़ान / ट्रेन / RSRTC बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे है।

      b. विशेष निजी आपातकालीन स्थिति (स्वयं के परिवार में मृत्यु / एक्सीडेंट अथवा अस्पताल में भर्ती की स्थिति में) सत्यापन पश्चात्

(हिमांशु गुप्ता) 10/06

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जालोर

Scanned by CamScanner